

उत्तर प्रदेश सरकार
सूचना अनुभाग-1
संख्या-722/उन्नीस-1-96-213/87
लखनऊ :: दिनांक 22 जुलाई, 1996

अधिसूचना

-प्रकीर्ण-

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (क्षेत्र प्रचार) समूह 'घ' सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा के शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (क्षेत्र प्रचार) समूह 'घ' सेवा नियमावली, 1996
भाग-एक सामान्य

- | | | |
|---------------------------|----|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग सेवा नियमावली, 1996 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| सेवा की प्रास्थिति | 2. | उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (क्षेत्र प्रचार) समूह 'घ' सेवा में समूह 'घ' के पद समाविष्ट हैं। |
| परिभाषाएं | 3. | जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :-
(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य जिला मजिस्ट्रेट से है ;
(ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये ;
(ग) 'संविधान' का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है ।
(घ) 'निदेशक' का तात्पर्य निदेशक 'सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश' से है ;
(ङ) "जिला मजिस्ट्रेट" का तात्पर्य सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से है ;
(च) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (क्षेत्र प्रचार) समूह 'घ' सेवा से है ;
(छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ज) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; |

(झ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ज) मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ट) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ;

भाग दो- संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है ;

परन्तु :-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों की सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन- भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-

(एक) सिनेमा आपरेटर सह इलेक्ट्रीशियन

मौलिक रूप से नियुक्त साइक्लो-स्टाइल मशीन आपरेटर सह चपरासी और क्लीनर, जो आठवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हो और जो सिनेमा आपरेटर का लाइसेन्स रखते हों और जिन्हें विधुत संकर्म का ज्ञान हो, में से पदोन्नति द्वारा

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध

न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं।

(दो) साइक्लोस्टाइल मशीन
आपरेटर सह चपरासी

मौलिक रूप से नियुक्त क्लीनर, चौकीदार, चौकीदार एवं मददगार, और मददगार जो हिन्दी भाषा और अन्तर्राष्ट्रीय अंक पढ़ और लिख सकते हों, मे से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं।
सीधी भर्ती द्वारा

(तीन) क्लीनर, चौकीदार,
चौकीदार एवं मददगार,
और मददगार
आरक्षण

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूजित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण इस निमित्त बनाई गयी विधि और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार— अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक कि अभ्यर्थी ;

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रब्रजन किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें ;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार

टिप्पणी

		में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।
शैक्षिक अर्हताएं	8	सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :-
पद	अर्हता:-	
(क) सिनेमा आपरेटर – सह इलेक्ट्रीशियन		(1) कक्षा आठ की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) सिनेमा मशीन चलाने का ज्ञान होना चाहिये। (3) सिनेमा आपरेटर का लाइसेंस रखता हो। (4) विधुत संकर्मों का ज्ञान हो।
(ख) साइक्लोस्टाइल मशीन— आपरेटर सह चपरासी		(1) कक्षा आठ की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) साइक्लोस्टाइल मशीन चलाने का ज्ञान होना चाहिए।
(ग) क्लीनर/चौकीदार/ मददगार/चौकीदार एवं मददगार		(1) कक्षा पांच की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) साइकिल चलाना जानता हो।
अधिमान्नी अर्हताएं	9.	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा। जिसने : (एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो
आयु	10.	सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाय की पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 32 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।
चरित्र	11	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।
टिप्पणी		संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय

- द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधर्मता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
- वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :
- परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।
- शारीरिक स्वस्थता 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें
- परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच— भर्ती की प्रक्रिया

- रिक्तियों का अवधारण 14. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली सेवा में प्रत्येक श्रेणी की रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित की जायेगी। नियुक्त प्राधिकारी उन व्यक्तियों से सीधी भी आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकता है जिन्होंने अपने नाम सेवायोजना कार्यालय में पंजीकृत कराये हो। इस प्रायोजन के लिये नियुक्त प्राधिकारी सूचना पट्ट पर सूचना चिपकवाने के साथ-साथ किसी स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में एक विज्ञापन जारी करेगा। ऐसे सभी आवेदन पत्रों को चयन समिति के समक्ष रखे जायेगे।
- सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15. (1) भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी:

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी।

यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी।

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का होगा और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा।

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्राप्त अंकों से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर, उनके नाम श्रेष्ठता के क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक "किन्तु पच्चीस प्रतिशत प्रतिशत से अनधिक" होगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की 16.
प्रक्रिया

(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर इस नियमावली के नियम-15 के उप नियम (1)

के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियों 'उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली 1986' के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंक्तियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा। परन्तु जहाँ 2 या अधिक भिन्न पोषक संवर्ग हो -

(क) भिन्न वेतनमान धारण करने की स्थिति में उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा,

(ख) समान वेतनमान धारण करने की स्थिति में पात्रता सूची में अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने-अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेगे।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो नियम 5 के यथास्थित खण्ड

(एक) या (दो) में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग—छ: —नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम को उसी क्रम में लेकर जिसमें वे, नियम 15, 16 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाये या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाये।

परीक्षा

18. (1) किसी स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति सेवा में किसी पद पर मौलिक नियुक्ति पर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें निश्चित दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में 2 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा हैं तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवाये समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन

प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

- | | | |
|-----------|----|---|
| स्थायीकरण | 19 | <p>(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—</p> <p>(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय;</p> <p>(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और</p> <p>(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।</p> <p>(2) जहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।</p> |
| ज्येष्ठता | 20 | <p>किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।</p> |

भाग-सात-वेतन इत्यादि

- | | | |
|-------------------------|----|---|
| वेतनमान | 21 | <p>(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।</p> <p>(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं:—</p> |
| परिवीक्षा अवधि में वेतन | 22 | <p>(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।</p> |

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेण्टल रूल द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड 23

किसी व्यक्ति को दक्षतारोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग—आठ—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहें लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 25

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों से शिथिलता

26

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हे वह मामलों में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे,

अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है;

व्यावृत्ति

- 27 इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियमितियों और सरकार द्वारा समय – समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

अशोक प्रियदर्शी
सचिव, सूचना

परिशिष्ट
नियम 4 (2) और नियम 21 (2) देखिये

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान (रूपये में)
		स्थायी	अस्थायी	योग	
1.	सिनेमा आपरेटर— सह—इलेक्ट्रिशियन	—	13	13	825—15—900—द.रो . —20—1200
2.	साइक्लोस्टाइल मशीन आपरेटर—सह चपरासी	48	15	63	775—12—955—द.रो . —14—1025
3.	क्लीनर	56	7	63	750—12—870—द.रो . —14—940
4.	चौकीदार	45	18	63	तदैव
5.	चौकीदार—सह—मददगार	—	13	13	तदैव
6.	मददगार	17	58	75	तदैव

अशोक प्रियदर्शी
सचिव, सूचना